न्यायालय जिलाकलक्टर,भरतपुर (राज0)

प्रा.पत्र.रिव्यू / रसद / 70 / 2021

असगर अली उचित मूल्य दुकानदार ग्राम खरखोह ग्राम पंचायत टोडा तहसील डीग

......प्रार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी, भरतपुर जरिये पैरोकार रसद

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिव्यू विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 9.–11–2021 व मुकदमा असगर अली बनाम जिला रसद अधिकारी भरतपुर नं. 06 / 2021

निर्णय दिनांक 30–11–2022

प्रार्थी ने यह रिव्यू प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 9–11–2021 व मुकदमा असगर अली बनाम जिला रसद अधिकारी भरतपुर अपील प्रकरण संख्या 06 / 2021 के खिलाफ पेश किया गया है, जो संक्षेप में इस प्रकार है। न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 9–11–2021 पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के विपरीत है होने से खारिज योग्य है, श्रीमान ने अपने आदेश में लिखा है कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया है जब कि जिला रसद अधिकारी के आदेश से स्पष्ट है कि प्रार्थी पर किसी प्रकार का सम्मन की तामील नहीं होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रकरण में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सका। अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्पष्ट लिखा था कि प्रार्थी ने किसी प्रकार के खाद्यान्न की कालाबाजारी नही की है, प्रवर्तन निरीक्षक ने पोस मशीन में उल्लेखित खाद्यान्नों की मात्रा में गणना करने में त्रुटि की है जिसकी बाबत प्रार्थी ने रिकार्ड अपील के साथ प्रस्तुत किया था। न्यायालय श्रीमान ने निर्णय दिनांक 9–11–2021 पारित करने से पूर्व रिकार्ड का अवलोकन नहीं किया है, इस लिये प्रार्थना पत्र रिव्यू स्वीकार किया जाकर अपीलीय निर्णय दिनांक 9–11–2021 को निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलवी की गई तथा तहत पत्रावली एवं मूल अपील पत्रावली तलब की जाकर उभय पक्ष की वहस सूनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र रिव्यू में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि तहत न्यायालय का कोई नोटिस प्रार्थी पर तामील नहीं कराया गया है, इस कारण प्रार्थी तहत न्यायालय जिला रसद अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अपना जबाब पेश नहीं कर सका था जब कि श्रीमान ने अपने निर्णय

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

दिनांक 9–11–2021 में तहत न्यायालय में जवाब पेश नहीं करने का आरोप गलत लगाया है, जो पुनः विचारणीय है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी का यह भी तर्क है कि प्रवर्तन निरीक्षक को अपनी रिपोर्ट में यह कथन कि पोस मशीन के हिसाब से कुल गेंहू 95.30 क्विटंल होना चाहिये गलत है, जब कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा तैयार निरीक्षण प्रपत्र व पोस मशीन के हिसाब से कुल गेंहू 65 क्विटल होना चाहिये था ई0आई0 ने गणना करने में गलती की है। प्रवर्तन निरीक्षक का यह कहना कि मौके पर 50 किलो प्रति कट्टे के हिसाब से 140 कटटे होने पर कुल 70 क्विटल होना था यह भी गलत था, क्यों कि मौके पर मौजद कुछ कट्टे खुले थे जिनसे गेहूं का वितरण हो चुका था। इस प्रकार पोस मशीन में उल्लखित रिकार्ड व मौके पर उपलब्ध राशन सामग्री समान थी, जिला रसद अधिकारी ने भी अपने निर्णय में इस तथ्य पर कोई निर्णय नहीं किया है और श्रीमान न्यायालय ने भी अपने अपने निर्णय दिनांक 9.11.2021 मे इस तथ्य पर गौर नहीं कर नियमो के विपरीत निर्णय पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। बहस के अन्तमें योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र रिव्यू स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 9.11.2021 को निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

पैरोकार रसद ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि प्रार्थी/अपीलान्ट डीलर को तहत न्यायालय ने नोटिस जारी किये गये हैं, इसके बाद डीलर को जरिये रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा गया था, इसके बावजूद प्रार्थी डीलर तहत न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, इस बाबत डीलर की ओर से ऐसा कोई प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया। पैरोकार रसद का यह भी कथन है कि वक्त जांच तैयार की गई निरीक्षण रिपोर्ट में दुकान पर डीलर उपस्थित नही था, दुकान पर कार्यरत अन्य व्यक्ति सुवेखान की उपस्थिति में जांच रिपोर्ट तैयार की गई है, भौतिक सत्यपान एवं पोस मशीन के वितरण के मिलान करने पर मौके पर 25.23 क्विटंल गेंहू कम मिला था। अब प्रार्थी ने जो आरोप लगाये हैं कि गेंहू के कट्टे खुले पड़े थे उपभोक्ताओं को सामग्री वितरण की जा रही थी इस पर कोई घ्यान नहीं दिया ये सारे कथन बाद की सोच के तहत तैयार कर श्रीमान के समक्ष पेश किये गये हैं जो बिल्कुल निराधार हैं वेबुनियाद है। श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.11.2021 विधिवत है। उनका यह भी कहना है कि ई.सी.एक्ट में रिव्यू का कोई प्रावधान नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। रिव्यू प्रार्थना पत्र में निम्न बिन्दू तैय किये जाने हैं –

1–आया प्रार्थी पर तहत न्यायालय (जिला रसद अधिकारी कार्यालय) जारी सम्मन तामील नहीं हुए हैं?

2–आया प्रार्थी ने तहत न्यायालय में कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया?

.....3

3—आया प्रवर्तन निरीक्षण ने पोस मशीन में उल्लेखित खाद्यान्नों की मात्रा में गणना करने में त्रुटि की है?

1—2, जिला रसद अधिकारी भरतपुर की तहत पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहत न्यायालय की पत्रावली आर्डरसीट दिनांक 28.10.2020 का अवलोकन किया गया जिसमें अंकित है कि —

> ".....पत्रावली आज पेश हुई। अप्रार्थी डीलर उप0 नहीं। पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि अप्रार्थी को नोटिस की विधिवत तामील नही हुई है। अतः अब जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस भेजा जावें। पत्रावली दिनांक 18.11.20 को पेश हो.... ।"

तहत न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नोटिस कमांक रसद/अभियोजन/2020/1444 दिनांक 11.8.2020 जो कि प्रार्थी डीलर असगर अली को जरिये तहसीलदार डीग को तामील हेतु जारी किया गया है के पुश्त पर तामिल कुनिन्दा की अंकित रिपोर्टस के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नोटिस की तामील हेतु प्रार्थी असगर अली की दुकान एवं उसके निवास घर पर जाकर तामील की कोशिश की गई हैं, परन्तु प्रार्थी डीलर असगरअली के करीब 20 दिन से दुकान व घर पर नही मिलने के कारण नोटिस वापिस लोट कर आया है। इस पर तहत न्यायालय ने डीलर को जरिये रजिस्टर्ड डाक से नोटिस दिनांक कमांक रसद/अभियोजन/2020/2432 दिनांक 4.11.2020 भेजा गया है।

तहत न्यायालय ने नियमों के तहत डीलर पर नियमों के तहत नोटिस की तामील हेतु युक्ती युक्त प्रयत्न करते हुये अन्त में प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस नोटिस दिनांक 4.11.2020 भेजा गया है इसके बाबजूद भी प्रार्थी/अपीलान्ट डीलर तहत न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। प्रार्थी के जुबानी कथनों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे यह माना जा सके कि अप्रार्थी को रजिस्टर्ड डाक भेजा गया नोटिस तारीखी 4.11.2022 डीलर प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुआ हो। अप्रत्यक्ष रुप से स्पष्ट है कि प्रार्थी डीलर जान बूझकर नोटिस का जबाव देने से बच रहा हो और तहत न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है और नाही उसकी ओर से कोई प्रार्थना पत्र वगे. ही पेश किया गया है, अगर प्रार्थी डीलर बीमार था तो उसे विधिवत अपने अधिकारी को तथ्यों के साथ आवेदन करना चाहिये था, परन्तु यहां ऐसा भी नही किया गया है, प्रार्थी डीलर का कृत्य की लापरवाही हठदर्मिता का द्योतक है।

3— तहत पत्रावली में उपलब्ध प्रवर्तन निरीक्षक की जांच रिपोर्ट दिनांक 29.7.20 में प्रवर्तन निरीक्षक ने अंकित किया है कि भौतिक सत्यापन करने पर पोस मशीन के अनुसार 95.23 क्विंटल गेंहू होना चाहिये था, वास्तविक रुप में (140 कट्टे प्रति कटटा 50 किलो) के हिसाब से 70 क्विटल मिला, इस प्रकार 25.23 क्विंटल गेंहू कम पाया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक ने यह सारी कार्यवाही दुकान पर उपस्थित मिले व्यक्ति सुबेखान की मौजूदगी में की गई है जिसके फर्द कार्यवाही पर हस्ताक्षर भी किये हुये

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

हैं, यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वक्त निरीक्षण दुकान ऐसी कोई आपत्ति प्रवर्तन निरीक्षक के समक्ष दर्ज नहीं कराई गई है। प्रार्थी द्वारा यह सारी कार्यवाही आरोप बाद की सोच के तहत लगाये गये हैं जो सारहीन होने से खारिज के रहते हैं।

इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 9.11.2021 विधिवत है, उपरोक्त विवेचानुसार "Ther is no mistake or error apparent on the face of record" नहीं पाते हैं अत :प्रार्थना पत्र रिव्यू काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र रिव्यू खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली जिला रसद अधिकारी भरतपुर को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 30–11–2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर